

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशिक्षण/कोर्ट केस/विविध/2019/

दिनांक :

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।समस्त प्रधानाचार्य  
राजकीय जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र  
राजस्थान।

विषय : कोर्ट आदेश से निर्धारित समयावधि से पूर्व जीएनएम प्रशिक्षण करने वाले कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ : इस निदेशालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक : 250 दिनांक 08.05.2019 के क्रम में।

संदर्भित पत्र के द्वारा आपको लेख किया गया था कि ऐसे नियमित विभागीय कर्मचारी जिन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश से निर्धारित नियमित समयावधि (5 वर्ष) पूर्व जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया है, की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में 3 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को विशेष वाहक के साथ भिजवावे। जो आज दिवस तक अपेक्षित है।

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम/ पिता का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय आदेश दिनांक	प्रशिक्षण सत्र	न्यायालय आदेश की पालना से जारी आदेश क्रमांक दिनांक	विशेष विवरण

अतः आपको पुनः लेख है कि पत्र को वरियता प्रदान करते हुए वांछित सूचना ई मेल आई.डी. [jd55training@gmail.com](mailto:jd55training@gmail.com) पर भिजवाते हुए हार्ड कॉपी दो दिवस के अन्दर-अन्दर विशेष वाहक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करे, अन्यथा विपरित प्रभाव के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ० संजय सकसैना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 16/5/19

क्रमांक : प्रशिक्षण/कोर्ट केस/विविध/2019/265

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मु. को उनकी अ.टि. क्रमांक नर्सिंग/वरि./वि.कर्म./ (एफ-197)/19/81 दिनांक 25.4.2019 एवं इस अनुभाग के उल्लेखित पत्र पृष्ठांकन क्रमांक : 250 दिनांक 08.05.2019 के क्रम में।

2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी सम्बन्धित कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों को उनकी ई-मेल पर जारी करते हुए विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करावें।

(डॉ० संजय सकसैना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर